

**न्यायालय उपजिलाधिकारी / सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, अतरीली (अतीनाक)**

गाद सं-57  
 पोवा-रापुर आग  
 श्री परत सिंह काल देवी महाविद्यालय  
 अतरीली आग - 143 आ/वि एवं पु.प्रा.अ.अतिनाक  
 परमाण रापुर आग सहलीय अतरीली, जिला अतीनाक  
 बंगल  
 सारकर

प्रती श्रीमती मीरा देवी, पि.भ रापुर आग, सहलीय अतरीली प्रस्ताव की परत सिंह किता संविधि, रापुर आग, सहलीय अतरीली जिला अतीनाक द्वारा अर्पण आग 143 आ/वि एवं पु.प्रा.अ.अतिनाक के तहत की प्रदत्त रापुर आग 14.12.2015 की प्रमाण किता गया है, जिसमें कहा गया है कि श्रीमान रापुर आग अतिनाक के तहत की प्रदत्त सहलीय अतरीली जिला अतीनाक किता भूमि आग सं-683 अ.क के अतीली सं-72 रकबा 0.948 बी.व. गादा संख्या-683 अ.क रकबा 0.27680 व गादा संख्या-683 रकबा 0.48480 कुल 3 किता रकबा 1.70880 लगानी 30-55 न्यायन में वही भूमि कया पर की खपे सिंह पुत्र श्री सैयदा व श्री उदयल पुत्र श्री राय सिंह, पि.भ रापुर आग के साथ सहलीय अतरीली जिला अतीनाक व कांठिन शावरका है, उक्त भूमि रकबा 1,70880 में से 1,110280 पर सैयदा व श्रीमती श्रीमती महाविद्यालय का परत जिनाय है जो श्री परत सिंह किता संविधि, रापुर आग, सहलीय अतरीली द्वारा संवर्धित है उक्त गादा के किसी भी अर्थ पर कृषि कार्य नहीं की रहा है तथा सुवर्ण अतरीली का प्रयोग आवादी के रूप में की रहा है। उक्त गादा पर सयलीय पालन, सुकुट पालन, बागवानी का कार्य नहीं की रहा है तथा इनके बीच में वाली सरकारी व बागवानी की नहीं। अतः उपरोक्त भूमि को अतरीली/अर्पण भूमि संविधि किने जाने की माग की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना एवं पर सहलीय अतरीली से आगानी नहीं। सहलीय अतरीली में आगनी आग किताक 22.12.2015 में उल्लेख किता है कि श्रीमान रापुर आग परमाण रापुर आग सहलीय अतरीली जिला अतीनाक किता भूमि आग सं-683 अ.क के अतीली सं-72 रकबा 0.948 बी.व. गादा संख्या-683 अ.क रकबा 0.27680 व गादा संख्या-683 रकबा 0.48480 कुल 3 किता रकबा 1,70880 लगानी 30-55 अर्थ पर श्री खपे सिंह पुत्र श्री सैयदा व श्री उदयल पुत्र श्री राय सिंह, पि.भ रापुर आग श्री परत सिंह किता संविधि, रापुर आग, सहलीय अतरीली जिला अतीनाक प्रस्ताव श्रीमती मीरा देवी पि.भ रापुर आग सहलीय अतरीली के साथ सहलीय अतरीली जिला अतीनाक व कांठिन शावरका है। उपरोक्त भूमि पर नए धार यहाँ से कृषि कार्य, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुकुट पालन, बागवानी पालन व हार्दिकनार आदि नहीं की रहा है वहीं श्रीमती मीरा देवी के अर्पण में आ रही है, उपरोक्त भूमि अर्पण की भूमि नहीं है, वर्ष 1956 परतीली/वी.पकबन्दी आकार एवं 45 में उपरोक्त भूमि आनेवाले के नाम दर्ज है, उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई धार किसी भी न्यायालय में विचारधीन नहीं है, तथा उपरोक्त भूमि में कोई विकार नहीं किता गया है। अतः उपरोक्त भूमि को अर्पण भूमि संविधि किने जाने की आगानी संवर्धित नहीं की गयी है।

परतली का परतीलीय किता गया। परतली पर उक्त संवर्धन आकार 41 व 45 एवं सहलीय अतरीली की आग किताक 22.12.2015 का अर्पण किता गया। अतः उपरोक्त संवर्धन के आधार पर सहलीय अतरीली की आग किताक 22.12.2015 संवर्धन किने जाने योग्य है।

**आदेश**

उपरोक्त विरलेनागुलार सहलीय अतरीली की आग किताक 22.12.2015 स्वीकार की जाती है। श्रीमान रापुर आग, परमाण रापुर आग, सहलीय अतरीली जिला अतीनाक किता भूमि आग संख्या-683 अ.क के अतीली सं-72 रकबा 0.948 बी.व. गादा संख्या-683 अ.क रकबा 0.27680 व गादा संख्या-683 रकबा 0.48480 कुल 3 किता रकबा 1,110280 को अर्पण भूमि संविधि किता जाना है तथा उक्त भूमि का संपान माग किता जाना है। सहलीय अतरीली की आग किताक 22.12.2015 आदेश का अंग दर्शनी। आदेश की एक प्रति सहलीय अतरीली एवं उपरोक्त अतरीली को भेजा जावे। सहायक परमाण अतरीलीय अतरीली श्री। आग माग्यक आदेशवाही परतली रावरल अतिनाकपार में संविधि है।

उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी  
 अतरीली (अतीनाक)

दिनांक -  
 17.12.12  
 प्रमाण किता करने का दिनांक 20-12-12  
 प्रमाण किता करने का दिनांक 20-10-12.

उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी  
 अतरीली (अतीनाक)

